उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– — /V–2/32(आ0)17/2018
देहरादून : दिनांक 24 जनवरी, 2018

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून की महायोजना–2031 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 17.12.2017 का प्रकाशन सर्वाधिक प्रचारित दो समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में दिनांक 17.12.2017 में प्रकाशित करायी गयी। निर्धारित अवधि में महायोजना में संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

2– उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास अधिनियम, 1986) (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा–12 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, महामहिम राज्यपाल ग्राम जौलीग्रांट, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून महायोजना–2031 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते है:–

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	भू–उपयोग हेतु खसरा संख्या	क्षेत्रफल(है0 में)	महायोजना के अनुसार वर्तमान भू–उपयोग	महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	ग्राम जौलीग्रांट, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून	1578	19.40	वन	सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक
2	तदैव	1579	3.60	वन	सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक
		कुल क्षेत्रफल	**23.00 हैक्टेयर**		

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– /V–2/32(आ0)17/2018–तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 10 प्रतियां शासन को एवं 5–5 प्रतियां नीचे अंकित क्रमांक–1 एवं 2 के अधिकारियों को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

संख्या– 150(2)/V–2/32(आ0)17/2018–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

2– सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

4– गार्ड बुक/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।